न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 359/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

अनमोल सिह पुत्र स्व. श्री जितेन्द्र हिस उर्फ दलजिन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 कर्मजीत कौर पत्नी स्व. श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ दलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2 हरमनदीप कौर पुत्री स्व. श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ दलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3 बेअन्त कौर पुत्री स्व. श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ दलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4 वीरपाल कौर पुत्री स्व. श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ दलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5 हरविन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6 रणदीप सिंह पुत्र स्व. श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7 गुरदीप सिंह पुत्र स्व. श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8 परमजीत कौर पत्नी स्व. श्री तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9 कुलवन्त सिंह पुत्र स्व. श्री तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10 जसवन्त सिंह पुत्र स्व. श्री तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11 लवप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12 राजप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री महावीर बेरड़ — वकील वादीं
2. श्री कुलदीप मूण्ढ़ — वकील प्रति.सं. 1 ता 12

निर्णय

दिनांक :— 13.11.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 वादी के पिता, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 वादी की बहिने, प्रतिवादी सं. 5 व 8 वादी की चाची एवं प्रतिवादी सं. 6, 7, 9 ता 12 वादी के चचेरें भाई—बहिन है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादी के पिता, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 वादी की बहिने, प्रतिवादी सं. 5 व 8 वादी की चाची एवं प्रतिवादी सं. 6, 7, 9 ता 12 वादी के चचेरे

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

भाई–बहिन है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के स्व. पिता जितेन्द्र सिंह, वादी के स्व. दादा नक्षत्र सिंह एवं वादी के स्व. चाचा तरसेम सिंह एवं बलवीर सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी के विवादित खाता सं. 46/33 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 13.421 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। लेकिन वादी एवं वादी के परिवार के सदस्यों को बंटवारा एवं कब्जाकाष्त में उक्त खाता में 9.361 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं हल्का पटवारी द्वारा जारी नक्षत्र सिंह के वारिसान के फर्द मौका की चित्रप्रति सलंग्न वाद पत्र हैं। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने तथा विवादित खाता में दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:–

(क) वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 क्रमशः अनमोल सिंह पुत्र स्व. श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ दलजिन्द्र सिंह, कर्मजीत कौर पत्नी स्व. श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ दलजिन्द्र सिंह, हरमनदीप कौर पुत्री स्व. श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ दलजिन्द्र सिंह एवं बेअन्त कौर पुत्री स्व. श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ दलजिन्द्र सिंह एवं वीरपाल कौर पुत्री स्व. श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ दलजिन्द्र सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :– तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी के विवादित खाता सं. 46/33 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 9.361 है. कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा ब.हि.ब.।

(ख) प्रतिवादी सं. 5 ता 7 क्रमशः हरविन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री बलवीर सिंह, रणदीप सिंह पुत्र स्व. श्री बलवीर सिंह एवं गुरदीप सिंह पुत्र स्व. श्री बलवीर सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :– तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी के विवादित खाता सं. 46/33 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 9.361 है. कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा ब.हि.ब.।

(ग) प्रतिवादी सं. 8 ता 12 क्रमशः परमजीत कौर पत्नी स्व. श्री तरसेम सिंह, कुलवन्त सिंह पुत्र स्व. श्री तरसेम सिंह, जसवन्त सिंह पुत्र स्व. श्री तरसेम सिंह, लवप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री तरसेम सिंह एवं राजप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री तरसेम सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :– तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी के विवादित खाता सं. 46/33 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 9.361 है. कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा ब.हि.ब.।

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो

उप खण्ड अधिकारी जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 12 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 ता 12 को मृतक नक्षत्र सिंह, तरसेम सिंह, बलवीर सिंह एवं जितेन्द्र सिंह उर्फ दलजिन्द्र सिंह के विधिक वारिसान होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 13 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि घोषणा इस आश्य की फरमाई जावे कि मुताबिक बंटवारा वादी के स्व. दादा नक्षत्र सिंह, वादी के स्व. पिता एवं वादी के स्व. चाचा तरसेम सिंह एवं बलवीर सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी के विवादित खाता सं. 46/33 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 9.361 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को 1/3 हिस्सा के ब.हि.ब. के, प्रतिवादीं सं. 5 ता .7 को 1/3 हिस्सा के ब.हि.ब. के एवं प्रतिवादी सं. 8 ता 12 को 1/3 हिस्सा के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक नक्षत्र सिंह, तरसेम सिंह, बलवीर सिंह एवं जितेन्द्र सिंह उर्फ दलजिन्द्र सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 13 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी अनमोल सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 6 बीजीपी--बी खाता संख्या 46/33 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 एव पटवारी फर्द मौका वारिसान की फोटो प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 6 बीजीपी–बी खाता संख्या 46/33 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में वादी के स्व. पिता जितेन्द्र सिंह, वादी के स्व. दादा नक्षत्र सिंह एवं वादी के स्व. चाचा तरसेम सिंह एवं बलवीर सिंह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार वादी के स्व. पिता जितेन्द्र सिंह, वादी के स्व. दादा नक्षत्र सिंह एवं वादी के स्व. चाचा तरसेम सिंह एवं बलवीर सिंह के नाम चक 6 बी.जी. पी.–बी खाता संख्या 46/33 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में आराजी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– वादी के स्व. दादा नक्षत्र सिंह, वादी के स्व. पिता एवं वादी के स्व. चाचा तरसेम सिंह एवं बलवीर सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. बी विवादित खाता सं. 46/33 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 9.361 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 5 ता 7 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 8 ता 12 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक नक्षत्र सिंह, तरसेम सिंह, बलवीर सिंह एवं जितेन्द्र सिंह उर्फ दलजिन्द्र सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया